

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक C/2214/

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 19/05/2017

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 1900/- में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परिवेक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री संदीप कोष्टा, आत्मज श्री अच्छेलाल कोष्टा	खण्डपीठ ग्वालियर
2.	श्री संतोष नामदेव, आत्मज श्री नोखेलाल नामदेव	खण्डपीठ ग्वालियर
3.	कु रानी यादव, आत्मजा श्री डिल्लीराम यादव	खण्डपीठ ग्वालियर
4.	श्री एनोश कुमार, आत्मज श्री अमृत लाल	खण्डपीठ ग्वालियर
5.	श्री महेश कुमार कुहाने, आत्मज श्री प्रेमलाल कुहाने	खण्डपीठ ग्वालियर
6.	कु खुशबु गौर, श्री गुलाब चन्द गौर	खण्डपीठ ग्वालियर
7.	श्री संजु यादव, आत्मज श्री जगन्नाथ यादव	खण्डपीठ ग्वालियर
8.	श्री चेतन पाण्डे, आत्मज श्री गुलाब सिंह पाण्डे	खण्डपीठ इंदौर
9.	श्री जयदेव माणिक, आत्मज श्री सुखदेव माणिक	खण्डपीठ इंदौर
10.	श्री प्रवीण कुमार केरकेटा, आत्मज श्री कुलदीप केरकेटा	खण्डपीठ ग्वालियर
11.	श्री गणेश प्रसाद डहेरिया, आत्मज स्व. भूरेलाल डहेरिया	खण्डपीठ ग्वालियर
12.	श्री अभय कुमार चौधरी, आत्मज श्री छेदीलाल चौधरी	खण्डपीठ ग्वालियर
13.	श्री भैयाजी चौहान, आत्मज श्री धनसिंह चौहान	खण्डपीठ इंदौर
14.	श्री कुलदीप बिंझाडे, आत्मज श्री जुगरु बिंझाडे	खण्डपीठ ग्वालियर
15.	श्री नीरज गौड़, आत्मज श्री रामकुमार गौड़	खण्डपीठ ग्वालियर
16.	श्री मुकाम सिंह डावर, आत्मज श्री नान सिंह डावर	खण्डपीठ इंदौर

1. यह कि, वे शपथ ले कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर संबंधित पदस्थापना (खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर) के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियों दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतिरों को लेकर उपरिथित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेशन प्रणाली लागू होगी।
6. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्त आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
7. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित् या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के बेतन भत्तों के बराबर राशि भगद जगा दर्खनी होगी।
10. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण-पत्र फर्जी या कूटरचित् पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी।
13. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
15. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार

स्थै/—

(मो. फहोम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक

C/2215

जबलपुर, दिनांक 19 /05/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर,
2. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./आई.एल./ (निरी. एवं सतर्कता)/ एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1702103001 एवं खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001, एम्प्लाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर एवं ग्वालियर,
7. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई.एल. आर एवं एकजाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री संदीप कोष्टा, आत्मज श्री अच्छेलाल कोष्टा, सकान नं. 429, हक्किण मिलौनीगंज, जबलपुर (म.प्र.) 482002,
18. श्री संतोष नामदेव, आत्मज श्री नोखेलाल नामदेव, 31, जे.डी.ए. 41 नं. स्कीम के पास, एकता नगर, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002,
19. कु. रानी यादव, आत्मजा श्री डिल्लीराम यादव, सहावीर डेयरी, सब्जी मण्डी, कंषानावाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, (म.प्र.) 476001
20. श्री एनोश कुमार, आत्मज श्री अमृत लाल, 169, वार्ड नं. 05, कम्पाऊंडर टोला, बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, (म.प्र.) 481111
21. श्री महेश कुमार कुहाने, आत्मज श्री प्रेमलाल कुहाने, वार्ड नं. 21, ग्राम + पोस्ट बिरसा, तह. बिरसा, जिला बालाघाट, (म.प्र.) 481051
22. कु. खुशबू गैर, आत्मज श्री गुलाब चन्द गैर, सी.डी. रमन वार्ड क्र.-5, बड़े मिशन स्कूल के पीछे, शारदा किराना के पास, रविन्द्र सायकल स्टोर्स, सिवनी, 480661
23. श्री संजु यादव, आत्मज श्री जगन्नाथ यादव, मंगल भवन के पीछे, जोशी गली वार्ड नं.-7, बालागंज होशंगाबाद, (म.प्र.) 461001
24. श्री चेतन पाण्डे, आत्मज श्री गुलाब सिंह पाण्डे, पोस्ट ऑफिस के सामने, वार्ड नम्बर-15, मण्डलेश्वर, जिला-खरगोन (म.प्र.) 451221
25. श्री जयदेव माणिक, आत्मज श्री सुखदेव माणिक ब्लॉक-जी-2/एसएफ-3, बाजपेहा नगर, ईदगाह हिल्स, भोपाल, (म.प्र.) 462001

26. श्री प्रवीण कुमार केरकेटा, आत्मज श्री कुलदीप केरकेटा, शासकीय नवीन पी.जी. कॉलेज के पास, महाराजपुर रोड, सुल्तान सिंह की बगिया, देवेन्द्र सिंह का मकान, मुरैना (म.प्र.) 476001,
27. श्री गणेश प्रसाद डहेरिया, आत्मज स्व. भूरेलाल डहेरिया, म. नं. 1/12, शक्ति नगर, 90 क्वार्टर के पीछे, पिपलेश्वर मंदिर थाना गढ़, जबलपुर 482001 (म.प्र.)
28. श्री अभय कुमार चौधरी, आत्मज श्री छेदीलाल चौधरी, म.नं. 2384, गली नं.-3, चण्डी मंदिर के पास, पोलीपाथर, गवारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482008
29. श्री भैयाजी चौहान, आत्मज श्री धनसिंह चौहान, जवाहर नवोदय विद्यालय, जूनापानी सनावद, तहसील सनावद, खरगोन (म.प्र.) 451111
30. श्री कुलदीप बिंजाड़े, आत्मज श्री जुगरु बिंजाड़े, ब्रह्मकुमारी आश्रम के पीछे, पटेल वार्ड, सदर, बैतूल, (म.प्र.) 460001
31. श्री नीरज गौड़, आत्मज श्री रामकुमार गौड़, सत्यस नगर, आंगनवाड़ी केन्द्र 24 के पास, तिली वार्ड, सागर, (म.प्र.) 470002
32. श्री मुकाम सिंह डावर, आत्मज श्री नान सिंह डावर, 17/1, रामनगर, सावेर रोड, इंदौर, (म.प्र.) 452015

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*July 8/17*  
 (चन्द्रेश कुमार खरे)  
 रजिस्ट्रार (प्रशासन)